Regd. (47)

कार्यालय, निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड रामनगर (नैनीताल)

टेलीफोन नं0– 05947–253977, फैक्स नं0– 05947–251012, ई–मेल– dirctr@yahoo.in

पत्रांक 670 /22-1(7) दिनांक, रामनगर, अक्टूबर 9, 2017

सेवा में,

श्री राजीव मेहता,
चित्रा सिनेमा, रेलवे रोड,
हरिद्वार।

02 18/10/17

विषयः– **सूचना का अधिकर अधिनियम, 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत।**

संदर्भः– **आपका अनुरोध पत्र दिनाक 04.09.2017 जो इस कार्यालय में दिनांक 12/9/2017 को प्राप्त हुआ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय से मांगी गई सूचना निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु सं0–1 से 3 तक उक्त बिन्दुओं की सूचना प्राप्ति हेतु आपका अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून को अंतरित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0–4 से 5 तक वर्ष 2016 में बाघ गणना कार्य नही हुआ है वर्ष 2017 हेतु Status of Tigers and Habitat in Corbett Tiger Reserve Phase IV Monitoring 2016-17 की रिर्पोट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

DWII OFFICE
DIARY NO.: 1756
DATE: 18/10/17

आप द्वारा प्रत्येक बाघ की फोटोग्राफ की मांग की गई है जिसके संबंध में अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–8(ड) तथा धारा–8(2) के अन्तर्गत उक्त सूचना आपको नही दी जा सकती है।

यदि आप उक्त सूचना से संतुष्ट नही है तो किसी भी कार्य दिवस में पूर्व से सूचित करते हुए अपने से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं, आप द्वारा चिन्हित अभिलेख आपको नियमानुसार उपलब्ध करा दिये जायेंगें अथवा इस कार्यालय को प्रथम अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है के सम्मुख निर्धारित अवधि के अन्दर अपील कर सकत हैं।

संलग्नक–यथोपरि

प्रथम अपीलीय अधकारी का पताः–
श्री शिवराज चन्द्र
उप प्रभागीय वनाधिकारी, बिजरानी, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर।

भवदीय,
09/10/17
(जे0सी0 तिवारी)
लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कार्बेट टाइगर रिजर्व,
रामनगर (नैनीताल)

CPIO (R Anju) 16/10

Register

पत्र संख्या 670 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी/भारतीय वन्यजीव संस्थान उत्तराखण्ड, देहरादून को श्री राजीव मेहता, चित्रा सिनेमा, रेलवे रोड, हरिद्वार का अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि वे बिन्दु संख्या एक से तीन तक की सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जो सीधे आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

09/10/17
(जे0सी0 तिवारी)
लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कार्बेट टाइगर रिजर्व,
रामनगर (नैनीताल)

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Apl. No. 25 Qtr. III Year 2017-18
Fee — Inward Date 24/10/17

दिनांक–04.09.2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
कार्बेट टाईगर रिजर्व
रामनगर, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

विषय–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. वर्ष 2013–से वर्ष 2014 कार्बेट टाईगर रिजर्व में कितने बाघ थे, प्रत्येक बाघ की फोटोग्राफ हमें उपलब्ध कराये।
2. वर्ष 2014–से वर्ष 2015 कार्बेट टाईगर रिजर्व में कितने बाघ थे, प्रत्येक बाघ की फोटोग्राफ हमें उपलब्ध कराये।
3. वर्ष 2015–से वर्ष 2016 कार्बेट टाईगर रिजर्व में कितने बाघ थे, प्रत्येक बाघ की फोटोग्राफ हमें उपलब्ध कराये।
4. वर्ष 2016–से वर्ष 2017 कार्बेट टाईगर रिजर्व में कितने बाघ है, प्रत्येक बाघ की फोटोग्राफ हमें उपलब्ध कराये।
5. कार्बेट टाईगर रिजर्व मे वर्तमान समय में हुअी बाघो की गणना में कितने बाघ है। प्रत्येक बाघ की फोटोग्राफ हमें उपलब्ध कराये।

6.

प्रार्थी,

राजीव मेहता
चित्रा सिनेमा, रेलवे रोड, हरिद्वार

निदेशक प्रोजेक्ट टाइगर, कार्बेट
रामनगर (नैनीताल)
पत्रांक — 1H —
प्राप्ति संख्या — 22-1671
दिनांक — 19/9/2017